संख्या-1/2021/162/77-2-21-3(बजट)/2018

प्रेषक

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0, प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण (पूंजी लेखा) के अन्तर्गत बजट प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-529/क्रय(यंत्र) /2021 दिनांक 25-1-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-8 लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत बजट प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष रू0 22,02,70,600/- (रूपये बाइस करोड़ दो लाख सत्तर हजार छ: सौ मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उपरोक्त धनराशि केवल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत नई मशीनों के क्रय पर ही व्यय की जायेगी तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद/प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(3) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-3-2020, 07-4-2020,11-4-2020, 18-5-2020 व 29-9-2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि से राजकीय मुद्रणालयों के लिए मुद्रण मशीनों का क्रय दीर्घकालीन उपयोग के लिए किया जायेगा तथा मशीनों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री की होगी।

(6) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-8 के लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयत्रों का क्रय 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1-2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1/2021/162(1)/77-2-2021तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ ।

3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज ।

4- कोषाधिकारी, प्रयागराज ।

5- संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी ।

6- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1

7- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

8- नियोजन अनुभाग-4

9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।